लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **शिवांगी स्वर्णकार,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या / 75 / 2019 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः– 09.09.2019

श्री बंशीलाल पिता डालचन्द कुमावत मु. पो. आंवलहेड़ा वाया बस्सी, तह. व जिला चित्तौड़गढ़

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

निर्णय

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 20.09.2019

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 17.07.2019 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 75 / 2019 / (20.09) / 440 दिनांक 12.09.2019 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 20.09.2019 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 20.09.2019 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने के बावजूद भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। लोक सूचना अधिकारी (राज़स्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक / एडीएम / पीए / लोसूअ / 2018 / 135 दिनांक 20.09.2019 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः–

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या 75/2019 (सू.अ.)
श्री बंशीलाल कुमावत मु. पो. आंवलहेड़ा बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अति. कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़

1. यह है कि प्रार्थी श्री बंशीलाल पिता डालचन्द कुमावत निवासी आंवलहेड़ा वाया बस्सी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 17.07.2019 को प्रस्तुत किया जो इस कार्यालय में 18.07.2019 को प्राप्त होना सही है।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही गई सूचना के समस्त तथ्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ के कार्यालय से संबंधित होने से प्रार्थी का मूल प्रार्थना पत्र इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2019/2237 दिनांक 26.07.2019 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 सहधारा 3 के तहत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ को अन्तरित किया गया है। (पत्र की प्रति संलग्न है)
3. यह है कि प्रार्थी को सूचना के संबंध में इस कार्यालय द्वारा पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2019/2237 दिनांक 26.07.2019 से अवगत करा दिये जाने से अब इस प्रकरण पर काई कार्यवाही की आवश्यकता नही रहती है। अतः प्रस्तुत प्रथम अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2018/135 दिनांक 20.09.2019 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नक का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही गई सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ से संबंधित होने से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ ने अपीलार्थी का आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ को जरिये पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2019/2237 दिनांक 26.07.2019 से स्थानान्तरित करते हुए अपीलार्थी को भी इसकी सूचना दे दी।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन से ग्रामीण विकास विभाग (HZL) द्वारा वर्ष 2005 से लेकर 17.07.2019 तक ग्राम पंचायत आंवलहेड़ा मे कौन–कौन से विकास कार्य करवाये गये उन

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौडगढ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 75/2019 (सू.अ.)
श्री बंशीलाल कुमावत मु. पो. आंवलहेड़ा बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अति. कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़

कार्यों का नाम व कार्यस्थल का पूर्ण पता संबंधी सूचनाऐं/प्रमाणित प्रतियां चाही गई जो कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ से संबंधित है तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा अपीलार्थी का आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को धारा 6 (3) के तहत निर्धारित अवधि में स्थानान्तरित करते हुए, उसकी सूचना अपीलार्थी को भी उपलब्ध करा दी गयी थी। जिससे इस प्रकरण में इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना चाहने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ से सम्पर्क करें।

(शिवांगी स्वर्णकार)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./75/2019(सू.अ.)/524 दिनांकः– 24/09/2019

प्रतिलिपिः–

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़
2. श्री बंशीलाल पिता डालचन्द कुमावत मु. पो. आंवलहेड़ा वाया बस्सी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)